84 III/निग०/रीवा/2017/4184

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट–रीवा (म.प्र.)

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

1.राज कुमार ठारवानी तनय श्री साधूराम ठारवानी, उम्र–38 वर्ष,

2.बृजलाल ठारवानी तनय श्री साधूराम ठारवानी, उम्र–35 वर्ष,

दोनों निवासी मोहल्ला–अर्जुन नगर रीवा, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.) R30/-

......................................पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

राजेन्द्र कुमार शुक्ला तनय श्री भैय्या लाल शुक्ला, उम्र–50 वर्ष,

निवासी मोहल्ला–अमहिया, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.)

..................................गैरपुनरीक्षणकर्ता

अधि० श्री आर.एन. पटेल द्वारा पेश 01.11.17

निगरानी विरुद्ध न्यायालय राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मण्डल रीवा गिर्द तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.) द्वारा रा.प्र.क्र.5/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनॉंक– 30.10.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1) म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959 ई.

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त आधार निम्नानुसार हैः–

1.यह कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक रीवा गिर्द द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनॉक–30.10.2017 **विधि प्रक्रिया व नैसर्गिक** न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होनें से न्यायहित में काविल निरस्तगी है।

2.यह कि ग्राम–पड़रा, ज.नं.–333, पटवारी हल्का–ढेकहा 24, तहसील–हुजूर, जिला– रीवा (म.प्र.) अन्तर्गत स्थित भूमि सर्वे नं.**198/1** रकवा 0.58ए. (0.234हे.) का **भूमि–स्वामी** व **काविजदार निग.कर्ता** क्र.1 राज कुमार ठारवानी एवं भूमि सर्वे नं.**198/2** रकवा 0. 17ए. (0.069हे.) का भूमि–स्वामी **व काविजदार निग.कर्ता** क्र.2 बृजलाल ठारवानी है। उक्त भूमियों का नक्शा पृथक–पृथक **तर्मीम** न होनें से नक्शा में मूल भूमि नं. 198 रकवा 0:75ए. अंकित है, निग.कर्तागण अपनें–अपनें भूमि पर काविज हैं, उनके बीच कोई बिवाद नहीं है। उक्त भूमियों को आगे सुविधा की दृष्टि से निग.कर्तागण की भूमि नं. 198 लिखा जावेगा, जिसके मौके की स्थिति को सरलता पूर्वक समझनें की दृष्टि से निगरानी मेमों के साथ नजरी नक्शा संलग्न किया गया है, जो नक्शा अनुलग्न ''अ'' मुताविक है और निगरानी का अभिन्न अंग है।

3.यह कि निग.कर्तागण की भूमि नं.198 के **चौहद्दी में दक्षिण–**एन.एच. नं.7 (**ख.नं.200**), **उत्तर–भूमि नं. 185/1 व जे.पी. रोड** (ख.नं.184), **पूर्व–** भूमि नं. 199 व **जे.पी. रोड** (ख.नं.184) एवं **पश्चिम–**भूमि नं. 196व197 है। जिससे स्पष्ट है कि निग.कर्तागण की भूमि नं.198 के किसी चौहद्दी में गैरनिग.कर्ता के निजी स्वामित्व की भूमि नं. 185/3 रकवा 0.038हे. नहीं है, बल्कि उसकी भूमि नं.185/3 **राम** गोपाल प्रधान की भूमि नं.196व197 के उत्तर एवं शुक्ला कान्सटेवल के **नाम दर्ज**

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / निग0 / रीवा / 2017 / 4134

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
8 –3–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एन0 पटेल उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 5 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30.10.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है निगरानी के साथ धारा–5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि राजेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा खसरा कमांक 185 / 3 रकवा 0.038 स्थित ग्राम पडरा 333 का सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का द्वारा सरहदी कास्तकारों को सूचना दी तथा दिनांक 30.10.16 को राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश पारित किया, जिससे दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि पटवारी का कथित सीमांकन प्रतिवेदन झूंठा है और उसके साथ संलग्न पंचनामा व सूचना पत्र फर्जी है जिन पर अज्ञात लोगों का जाली व कूटरचित हस्ताक्षर है और पंचनामा व सूचना पत्र के किसी हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता नहीं है साथ ही पंचनामा में उल्लेखित सरहददी प्लाटधारियों का नाम झंठा व काल्पनिक है, क्यों कि भूमि कमांक	

153/3 के किसी भी सरहददी प्लाट के भूमि स्वामी अंजनी कुमार, नीरज प्रधान व हनुमान प्रसाद तिवारी नहीं हैं इसी प्रकार पंचनामा में कथित प्लाटधारी अंजनी कुमार के प्रतिनिधि अभिनव मिश्रा का नाम लिखा है जबकि पंचनामा व सूचना पत्र पर अभिनव शुक्ला के नाम का हस्ताक्षर है, जिससे प्रथम दृष्ट्या ही प्रमाणित होता है कि हल्का पटवारी मौके पर गये बिना ही झूठे सीमांकन प्रतिवेदन के साथ फर्जी पंचनामा व सूचना पत्र प्रस्तुत किया है। जिन पर सरहददी भूमि स्वामियों का नाम काल्पनिक व हस्ताक्षर फजी है। जिसके अनुक्रम में राजस्व निरीक्षक का आलोच्य आदेश अवैध व अकृत है तथा न्यायहित में काविल निरस्तगी है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 30.10.16 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि राजेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा खसरा कमांक 185/3 रकवा 0.038 स्थित ग्राम पडरा 333 का सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का द्वारा सरहदी कास्तकारों को सूचना दी तथा दिनांक 30.10.16 को राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश पारित किया गया लेकिन सरहदी कास्तकारों को सूचना नहीं दी गई है जिससे धारा 129 का पालन नहीं किया गया है। स्थल पंचनामा में राजकुमार एवं बृजलाल के हस्ताक्षर नहीं है एवं न ही सूचना पत्र में हस्ताक्षर जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत खसरा की प्रति में

वह सरहददी कास्तकार है । सरहददी कास्तकार होने के कारण उनको सूचना एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देना चाहिये था। जो उनके द्वारा नहीं दिया गया जिससे राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 30.10.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 5/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30.10.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सरहददी कास्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये एवं धारा 129 का पालन करते हुये आदेश पारित करें।

सदस्य